Aaj Samaj-New Delhi
June 18, 2019, P-02

गैर कानूनी सिगरेट बनाने का केंद्र बनता जा रहा एनसीआर

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अवैध सिगरेटों की निर्माण स्थली बनता जा रहा है और अगर इस पर लगाम न लगाई गई तो यह कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या बनने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी बन जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेटों के निर्माण (जिनमें कई विदेशी ब्रांडों की नकल भी शामिल है) में तीव्र वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकी कानून में खामियां हैं, नतीजतन सरकार को सालाना 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं की इस मुद्दे पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

सिगरेट लाइसेंसों का नियमन इंडस्ट्रीज डैवलपमेंट एंड रेग्युलेशन ऐक्ट, 1951 द्वारा किया जाता है। सन् 1991 में हुई डि-लाइसेंसिंग के बाद केवल पांच इंडस्ट्रीज ही अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत हैं जिनमें तंबाकू के सिगार व सिगरेट एवं तंबाकू के सबस्टीट्यूट शामिल हैं। सन् 1999 के बाद से इनके निर्माण के लिए कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी कानून में खामी के चलते गैर कानूनी सिगरेटों का निर्माण जारी है। दिल्ली के एक वरिष्ठ वकील अजय कुमार कहते हैं, ह्यह्लइस ऐक्ट में ह्यफैक्ट्रीह्ल की परिभाषा उत्पादों पर कोई अपवाद प्रस्तुत नहीं करती। यह कहती है की 50 कामगारों के साथ व बिजली से चलने वाली यूनिट या 100 कामगारों के साथ बगैर बिजली की यूनिट, एक फैक्ट्री स्थापित कर सकती है जिसके लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती और यहीं पर समस्या पैदा होती है।बीते सालों में पूरे भारत में सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों के अंतर्गत कई गैर कानूनी सिगरेट निर्माण इकाईयां पनप चुकी हैं। भारतीय तंबाकू बोर्ड के अनुसार उसके पास 2018 में 41 तंबाकू मैन्युफैक्ररर पंजीकृत थे।

पूरे एनसीआर में एजेंसियों द्वारा हाल ही में छापेमारी की गई, जिनमें फरीदाबाद डीसीपी, स्वास्थ्य विभाग-हरियाणा, गाजियाबाद और नोएडा डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल कमिटी शामिल थीं।